# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (छ.ग.)

## सहायक ग्रेड–3 एवं स्टेनोग्राफर हिन्दी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती के संबंध में प्राप्त आपत्ति / सुझााव के निराकरण की सूचना

इस स्थापना के स्टेनोग्राफर हिन्दी एवं सहायक ग्रेड–03 के रिक्त पदों की सीधी भर्ती के संबंध में ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से एवं ईमेल के माध्यम से आपत्ति / सुझााव प्राप्त हुये थे जिसका संक्षिप्त विवरण एवं निराकरण निम्नानुसार है।

आवेदिका मंजू चौरसिया एवं आवेदक तुषार सोनी द्वारा उक्त पदो की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा लेकर उसके मेरिट सूची अनुसार कौशल परीक्षा आयोजित कराये जाने के संबंध में आपत्ति / सुझााव प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रकार आवेदिका पारूल जैन द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित उनके आवेदन को अस्वीकार किये जाने के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत किया गया था।

इस स्थापना के रिक्त पदों की पूर्ती हेतु जारी किये गये विज्ञापन क्र 1070 दिनांक 20.06. 2023 भर्ती की पात्रता एवं अन्य शर्तों के सहित जारी किया गया था। जिसमें आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया कण्डिका के स.क. 01 के अनुसार उक्त पदों हेतु समस्त आवेदन ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से ही स्वीकार किये जाने एवं पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किये जाने का लेख किया गया है। इसी प्रकार नियुक्ति हेतु चयन विधि कण्डिका के प्रथम पैराग्राफ में स्पष्ट निर्देश अंकित है कि स्टेनोग्राफर हिन्दी एवं सहायक ग्रेड– 03 की कौशल परीक्षा हेतु स्नातक की परीक्षा में पाये गये अंको के आधार पर कुल रिक्त पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आहुत किया जाना है।

कोरोना काल में विद्यार्थी के घर में बैठकर गाईड और नकल सामग्री के सहारे ऑनलाईन परीक्षा में उच्च प्रतिशत प्राप्त करने के संबंध में आवेदकगण द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में किसी भी प्रकार का तथ्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही शासन के द्वारा उक्त संबंध में किसी भी प्रकार का निर्देश या परिपत्र उपलब्ध या ज्ञात है।

आपत्ति का निराकरण इस प्रकार किया जाता है कि भर्ती की प्रक्रिया जारी विज्ञापन के शर्तों के अधीन ही किया जावेगा। अतः उपरोक्त आपत्ति / सुझााव आधारहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

25/8/023

(थॉमस एक्का)
**अध्यक्ष**
विभागीय चयन समिति
विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी)
राजनांदगांव (छ.ग.)